संख्या-26/2017/725/26-3-2017

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 21 मार्च,2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-80 के आयोजनेत्तर पक्ष में राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-09 विद्युत देय एवं 17-किराया उपशुल्क व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान के लिये बचतों के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र संख्या-1748/स0क0/विकास/पुनर्विनियोग/2016-17, दिनांक-10.01.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास अधिष्ठान के अन्तर्गत मानक मद-09 विद्युत देय एवं 17-किराया उपशुल्क व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान के लिये बचतों के सापेक्ष पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि **रूपया-1,20,00,000/-(रूपये एक करोड़ बीस लाख मात्र)** स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-बी-3-1497/दस-2010-100(4)-ब.मै.टी.सी.।।, दिनांक-21.06.2010 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या : बी–3–1497 / दस–2010–100(4)–ब.मै.–टी.सी.–II

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3 लखनऊ : दिनाँक : 21 जून, 2010

विषयः व्यय की मानक मदों की ग्रुपिंग ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बजट प्रावधान और व्यय की आवश्यकताओं में मिसमैच संबंधी समस्या के त्वरित निराकरण के लिए कतिपय मानक मदों का निम्नानुसार ग्रुपिंग किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :

ग्रुप–1
01– वेतन
03–मंहगाई भत्ता
06–अन्य भत्ते
49–चिकित्सा व्यय.

ग्रुप–2
04–यात्रा व्यय
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय
45–अवकाश यात्रा व्यय

ग्रुप–3
08–कार्यालय व्यय
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई
42–अन्य व्यय
51–वर्दी व्यय

ग्रुप–4
09–विद्युत देय
10–जलकर / जल प्रभार
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामिस्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2–मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करने पर यदि किसी ग्रुप के अन्तर्गत मानक मदों के योग के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी के स्तर पर बजट उपलब्ध है और दावा सही है तो ऐसे बिलों का कोषागार द्वारा भुगतान सुनिश्चित किया जाय, भले ही उस ग्रुप के अन्तर्गत किसी मानक मद में ऋणात्मक अवशेष प्रदर्शित हो रहा हो । किसी ग्रुप के अन्तर्गत मानक मदों को अलग–अलग करके बजट की उपलब्धता न देखी जाय ।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव ।

संख्या : बी–3–1497 (1)/दस–2010–100(4)–ब.मै.–टी.सी.– II, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
3. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
5. विशेष सचिव, वित्त विभाग एवं बजट अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।